कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री भारत हैवी इलेक्ट्रिल्स लि0, इण्ड0 एरिया, जगदीशपुर ।**

प्रा0प0सं0— **327/2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री अजय कुमार गुप्ता, एडवोकेट ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

1— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 18—7—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा धारा 17(6) के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टरो को वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत कराने की अनिवार्यता बताई गई है तथा उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों पर कर की जानकारी चाही गयी है :—

Whether 'Transporters' are required to obtain registration under UP VAT Act-2008 and if yes then what is the obligation on the part of applicant for making transportation of taxable goods from transporters who are enrolled with applicant.

व्यापारी द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि वैट अधिनियम के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टरो को वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत कराने की बाध्यता है अथवा नहीं ? यदि हॉ तो उक्त सम्बन्ध में सर्वश्री भारत हैवी इलेक्ट्रिल्स लि0, इण्ड0 एरिया, जगदीशपुर का क्या दायित्व है।

2— व्यापारी के धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—1 वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन ने फैजाबाद अपने पत्र संख्या—1198 दिनांक 30—7—2008 से आख्या प्रेषित की गयी है । जिसके अनुसार ट्रांसपोर्टरो के लिये पंजीयन की व्यवस्था स्थगित करने के निर्देश है जिनका निस्तारण शासन स्तर पर किया जाना है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतुश्रीअजय कुमार गुप्ता, एडवोकेट उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त विभागीय आख्या व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया गया और पाया गया कि व्यापारी जो प्रश्न उठाया गया है वह वैट अधिनियम की धारा धारा—59 (1) a,b,c,d,e के अन्तर्गत नहीं आते है । अतः चूंकि व्यापारी का प्रार्थना पत्र धारा—59 की परिधि में न आने के कारण धारा—59 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

5— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0/10—2—09

दिनांकः:10फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।